हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 262/2017 तहसीलदार बाड़मेर बनाम लतीफ

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

31.10.17

पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थीगण के वकील अनुपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदन में अंकित खसरान में ग्राम सुथारों की ढाणी (भाडखा) में स्थाई रास्ता भाडखा रोहिली रोड से उनड खां की ढाणी तक जा रहा है, जिसकी लम्बाई 1.08 कि.मी. है, जो संलग्न नक्शे में बरंग पीला दर्शाया गया है। उक्त रास्ता बारामासी है। लिहाजा राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित पक्षकारान के खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में अंकन करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदन में अंकित खसरान की भूमि रास्ते के रूप में उपयोग हो रही है, परन्तु राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है, जिसे राजस्व अभिलेख में सम्बन्धित के खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर मौजा सुथारों की ढाणी (भाड़खा) की निम्नानुसार भूमि स्थाई रास्ते के रूप में जो संलग्न नक्शा में पीला रंग से दर्शाई गई है को सम्बन्धित खातेदार के खाते में राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर नक्शा में तरमीम करावे:–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा (बीघा मे)	रास्ते की लम्बाई–चौडाई (फीट मे)	रास्ते मे प्रभावित रकबा (बीघा मे)
1	2	3	4	5	6
1	इमाम लतीफ पिसरान सेहता कौम मुसलमान	383/325	257.17	2280X13	1.14
2	सादी खा मीरा खान पिसरान उन्नडखा कालू खा पुत्र मुबेखा कौम मुसलमान	376/310	88.14	940X13	0.14
3	साह मोहम्मद पुत्र रायधन कौम मुसलमान	377/310	87.08	330X13	0.05

नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सुनादी 24?? 7.11.17

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner